प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.02.2026

स्वॉट टीम/सर्विलांस टीम ट्रांसहिण्डन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 25 हजार रुपये का इनामी 01 अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 18.02.2026 को स्वॉट टीम/सर्विलांस टीम ट्रांसहिण्डन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 25 हजार रुपये का इनामी 01 अभियुक्त तरुण कपूर पुत्र बलदेव कपूर निवासी हाल पता फ्लैट नं0 बी 1202 प्लेटेनियम 321 राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को कनावनी कट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त तरुण कपूर उपरोक्त के विरुद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त तरुण कपूर उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त तरुण कपूर उपरोक्त का थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में एक संगठित गिरोह है। जिसका गैंग लीडर तरुण कपूर स्वयं है। अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर गैंग बनाकर अपने भौतिक व आर्थिक धन अर्जित करने के लिये कपूर ज्वैलर्स शोरूम के रूप में अपने आपको प्रतिष्ठित संस्थान दर्शाते हुये धोखाधड़ी व बेईमानी की नीयत से लोगों से उनके पुराने आभूषणों के डिजाइन को मेंकिग चार्ज की एवज में डिजाइन आभूषण मय होल मार्क के तैयार कर वापस करने का वादा करके गुमराह करना व लोगों को उनके असली आभूषणों के बजाय नकली आभूषण वापस करके लोगों के असली आभूषणों को हड़प लेने जैसे जघन्य अपराध कारित किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

तरुण कपूर पुत्र बलदेव कपूर निवासी हाल पता फ्लैट नं0 बी 1202 प्लेटेनियम 321 राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त तरुण कपूर उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर धोखाधड़ी व गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

स्वॉट टीम/सर्विलांस टीम ट्रांसहिण्डन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

गाजियाबाद पुलिस का चार पहिया वाहन चोर गिरोह के विरुद्ध सशक्त अभियान

स्वाट टीम, अपराध शाखा व थाना सिहानीगेट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की संयुक्त कार्यवाही में अलीगढ, हापुड, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हरियाणा व दिल्ली

एन0सी0आर0 क्षेत्र से चार पहिया वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 02 शातिर सक्रिय सदस्य गिरफ्तार कब्जे से चोरी की एक स्विफ्ट कार व फर्जी नम्बर प्लेट बरामद ।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में चार पहिया वाहनों की चोरी करने वाले चोरों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) के कुशल नेतृत्व में दिनाँक-17/02/2026 को स्वाट टीम, अपराध शाखा व थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा अलीगढ, हापुड, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हरियाणा व दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र से चार पहिया वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 02 शातिर सक्रिय सदस्य महताब उर्फ बच्चा व शमीम उर्फ पिल्ला को थाना सिहानीगेट क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी फर्जी नम्बर प्लेट लगी सिल्वर रंग की 01 स्विफ्ट कार बरामद की गयी है। गिरफ्तार दोनो अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है जिनके विरूद्ध चार पहिया वाहनो की चोरी के सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली राज्यों में करीब 03 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त महताब उर्फ बच्चा व शमीम उर्फ पिल्ला ने बताया कि इन दोनो का दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में चार पहिया वाहनों की चोरी करने वाले चोरो व चोरी किये गये वाहनों की खरीद फरोख्त करने वालो का एक संगठित गिरोह है, जिसमे इन दोनो के अलावा हरेन्द्र उर्फ हनी व आस मौहम्मद उर्फ पप्पू बकरा भई गिरोह के सक्रिय सदस्य है। इनके गिरोह का हरेन्द्र उर्फ हनी गिरोह का सरगना है । हरेन्द्र उर्फ हनी के साथ मिलकर ये दोनो लोग भी चार पहिया गाडियों की चोरी करते है और उनको मौका मिलने पर ऑन डिमाण्ड अपने गैंग के आस मौहम्मद उर्फ पप्पू बकरा के माध्यम से अच्छी कीमत पर बेच देते है और उसमे जो मुनाफा होता हैं उसको बराबर बराबर आपस में बाट लेते हैं।

गिरफ्तार दोनो अभियुक्तों ने बताया कि इनसे बरामद स्विफ्ट कार को दोनो ने अपने साथी हरेन्द्र उर्फ हनी के साथ मिलकर करीब दो सप्ताह पहले इब्राहिमपुर केशव नगर दिल्ली से चोरी की थी। जिस पर हमने फर्जी रजि0 नं0 प्लेट लगा रखी है । पकडे गये व्यक्तियों से ओर सख्ती से पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब हम लोग पकडे जाने से बचने के लिये चोरी किये गये चार पहिया वाहनो की नंबर प्लेट उतारकर फेक देते है तथा पकडे जाने से बचने के लिये ही चोरी की गाडियों पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर रखते हैं, इस गाडी के अलावा भी हम दोनो व हमारे साथी हरेन्द्र उर्फ हनी ने मिलकर जनपद अलीगढ, जनपद हापुड, जनपद बुलन्दशहर, जनपद गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र व अन्य जगहो से काफी चार पहिया वाहनो को चोरी करके अपने साथी आस मौहम्मद उर्फ पप्पू बकरा के माध्यम से पहले भी बेच चुके है इन वाहन चोरियो के सही जगह व दिनांक हम लोगो को सही से याद नही है । आज भी हम लोग यह गाडी अपने साथी आस मौहम्मद उर्फ पप्पू बकरा को देने की फिराक में घूम रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.महताब उर्फ बच्चा पुत्र हफीजुद्दीन उर्फ अब्दुला निवासी किराये पर गली न0 8 मकान न0 375 राजीव नगर मण्डोली थाना हर्ष बिहार दिल्ली उम्र 34 वर्ष

2.शमीम उर्फ पिल्ला पुत्र शमशाद निवासी मकान न0 बी 67 समर कालोनी लिसाडी गेट थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ उम्र 40 वर्ष

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

1.स्विफ्ट कार रंग सिल्वर (रजिस्ट्रेशन नम्बर- DL 11CD0731 दिल्ली से चोरी)

2.फर्जी नम्बर प्लेट नं0 HR10AX0146

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1.**महताब उर्फ बच्चा निवासी उपरोक्तः-**

1.मु0अ0स0-104/12 धारा-379/34 भादवि दिल्ली

2.मु0अ0स0-122/12 धारा-379/34 भादवि दिल्ली

3.मु0अ0स0-134/12 धारा-379/411/34 भादवि दिल्ली

4.मु0अ0स0-330/12 धारा-379/411 भादवि दिल्ली

5.मु0अ0स0-352/12 धारा-379/411/34 भादवि दिल्ली

6.मु0अ0स0-418/12 धारा-379 भादवि दिल्ली

7.मु0अ0स0-232/12 धारा-379 भादवि दिल्ली

8.मु0अ0स0-337/12 धारा-379 भादवि दिल्ली

9.मु0अ0स0-32320/16 धारा-379 भादवि दिल्ली

10.मु0अ0स0-32871/16 धारा-379 भादवि दिल्ली

11.मु0अ0स0-22704/16 धारा-379 भादवि दिल्ली

12.मु0अ0स0-34366/16 धारा-379/411/34 भादवि दिल्ली

13.मु0अ0स0-1680/16 धारा-379 भादवि दिल्ली

14.मु0अ0स0-27421/17 धारा-379/411/34 भादवि थाना केशव पुरम नोर्थ वेस्ट दिल्ली

15.मु0अ0स0-20169/17 धारा-379/411 भादवि थाना रानीबाग नोर्थ वेस्ट दिल्ली

16.मु0अ0स0-16568/19 धारा-379/411/34 भादवि थाना लाजपत नगर साऊथ ईस्ट दिल्ली

17.मु0अ0स0-39152/19 धारा-379/411 भादवि थाना गाजीपुर ईस्ट दिल्ली

18.मु0अ0स0-35156/19 धारा-379/411/34 भादवि थाना अमर कालोनी साऊथ ईस्ट दिल्ली

19.मु0अ0स0-1513/20 धारा-379/34 भादवि थाना कैलाश नाथ कट्जू मार्ग आऊटर दिल्ली

20.मु0अ0स0-30675/21 धारा-379/411/482 भादवि थाना बुराडी नार्थ दिल्ली

21.मु0अ0स0-798/22 धारा-379/411/34 भादवि थाना रोहिणी साऊथ आऊटर दिल्ली

22.मु0अ0स0-9923/23 धारा-379/411/34 भादवि थाना रानीबाग नोर्थ वेस्ट दिल्ली

23.मु0अ0स0-39304/24 धारा-305 बीएनएस थाना आदर्श नगर नोर्थ वेस्ट दिल्ली

24.मु0अ0स0-1975/25 धारा-305 बीएनएस थाना समयपुर बादली आऊटर दिल्ली

25.मु0अ0स0-1796/25 धारा-305/317(2) बीएनएस थाना वेलकम नोर्थ ईस्ट दिल्ली

26.ई0एफ0आई0आर0 न0-002368/26 धारा 305 बीएनएस थाना-ई-पुलिस स्टेशन एम0वी0 थैफ्ट स्वरूप नगर दिल्ली

27.मु0अ0स0-63/26 धारा-317(2)/317(4)/317(5)/345(3)/3(5) बीएनएस थाना सिहानीगेट गाजियाबाद

2.**शमीम उर्फ पिल्ला निवासी उपरोक्त:-**

1.मु0अ0स0-40/14 धारा-379 भादवि दिल्ली

2.मु0अ0स0-34366/16 धारा-379/411/34 भादवि दिल्ली

3.मु0अ0स0-37638/18 धारा-379/411 भादवि थाना मंगोलपुरी आऊटर दिल्ली

4.मु0अ0स0-45794/18 धारा-379 भादवि थाना आदर्श नगर नोर्थ वेस्ट दिल्ली

5.मु0अ0स0-31251/19 धारा-379/34 भादवि थाना सराय रोहिल्ली नोर्थ दिल्ली

6.मु0अ0स0-33317/19 धारा-379/411/34 भादवि थाना राजेन्द्र नगर सेन्ट्रल दिल्ली

7.मु0अ0स0-33208/19 धारा-379 भादवि थाना राजौरी गार्डन वेस्ट दिल्ली

8.मु0अ0स0-851/19 धारा-379/411 भादवि थाना केशव पुरम नार्थ वेस्ट दिल्ली

9.मु0अ0स0-24886/19 धारा-379/411/34 भादवि थाना रोहिणी साऊथ आऊटर दिल्ली

10.मु0अ0स0-150/22 धारा-379/411/420/468/471/120बी/201/34 भादवि थाना सदर बहादुरगढ झज्जर हरियाणा

11.मु0अ0स0-128/23 धारा-25 ए. एक्ट स्पेशल सेल नोर्थ ईस्ट दिल्ली

12.मु0अ0स018688/24 धारा-379/201/411/34 भादवि थाना बेगमपुर आऊटर दिल्ली

13.ई0एफ0आई0आर0 न0-002368/26 धारा 305 बीएनएस थाना-ई-पुलिस स्टेशन एम0वी0 थैफ्ट स्वरूप नगर दिल्ली

14.मु0अ0स0-63/26 धारा-317(2)/317(4)/317(5)/345(3)/3(5) बीएनएस थाना सिहानीगेट गाजियाबाद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1.स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना सिहानीगेट, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 3,76,000 /- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी।

दिनांक 11/08/2025 को आवेदक श्री बुद्ध सिंह पुत्र अमर सिंह नि० ग्राम मोरटा थाना मधुबन बापूधाम द्वारा साईबर पोर्टल पर आनलाईन शिकायत दर्ज करायी गयी कि जिसमें उनके द्वारा बताया गया एक अनजान व्यक्ति जिसके द्वारा खुद को पुलिस अधिकारी बताया गया तथा आवेदक का नाम व नम्बर पुलवामा आतंकी हमले में लिप्त होने का भय दिखाकर आवेदक के खाते से 3,76,000/- रुपये ट्रांसफर कराकर साईबर ठगी की गयी थी। प्राप्त शिकायत पर साईबर

सेल थाना मधुबन बापूधाम द्वारा अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही करते हुए पैसे ट्रांसफर किये गये खाता को फ्रीज कराया गया तथा आवेदक के 3,76,000/- रुपये को फ्रीज करा कर वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना मधुबन बापूधाम द्वारा आवेदक श्री बुद्ध सिंह पुत्र अमर सिंह नि० ग्राम गोरटा थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद को अनजान नम्बर से फोन आने जिनके द्वारा खुद को पुलिस का अधिकारी बताकर व पुलवामा आतंकी हमले में आवेदक का नाम व फोन नम्बर जुड़े होने से आवेदक को डराकर आवेदक के साथ 3,76,000/- रुपये की साईबर ठगी की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में साइबर सेल थाना मधुबन बापूधाम टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया। जिन बैंक खातों में आवेदक द्वारा पैसे ट्रांसफर किये गये थे को सम्बन्धित बैंक से पत्राचार कर फ्रीज कराया गया तथा अथक प्रयासों के बाद आवेदक की धनराशि 3,76,000/- रुपये को वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना मधुबन बापूधाम पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साईबर सेल थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम ।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा जुआ खेलने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 52 पत्ता ताश एंव2,340/- रुपये बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 17.02.2026 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर जुआ खेलने वाले 06 अभियुक्तगण 1. कुलविन्दर सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी एफ चूना भट्टी शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 391 करीब वर्ष 36, 2. शादाब पुत्र शराफत निवासी एच शहीद नगर नाले के पास पथरिया के किराये का मकान थाना साहिबाबाद गाजियाबाद 463 उम्रकरीब वर्ष 28, 3. सलीम पुत्र कलुआ निवासी एच शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद 211 उम्र करीब 36 वर्ष, 4. मोनू पुत्र गुलाम हुसैन निवासी ए ज 8 गली न0 12वाहर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 23, 5. मुजम्मिल पुत्र अमीर अहमद निवासी तकिया मस्जिद नियर रजनीगंधा अपार्टमेन्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीबवर्ष 40 व 6. आबिद पुत्र अहमद अली निवासी एफ शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 318करीब वर्ष 32 को बालाजी धर्मकांटा वाली गली में खाली पड़े प्लॉट पीपल पेड के पास से पत्ता ताश एंव 522,340/- रुपये सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 13 जी एक्ट जुआ) अधिनियम(के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि सभी अभियुक्तगण यहां एक साथ हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे थे जिन्हें मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. कुलविन्दर सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी एफ चूना भट्टी शहीद नगर थाना साहिबाबाद 391 गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 36 ।
2. शादाब पुत्र शराफत निवासी एच शहीद नगर नाले के पास पथरिया के किराये का मकान 463 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्रकरीब वर्ष 28 ।
3. सलीम पुत्र कलुआ निवासी एच शहीद नगर थाना साहिबाबाद 211गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष ।
4. मोनू पुत्र गुलाम हुसैन निवासी ए जवाहर 8 गली न0 12 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 23।
5. मुजम्मिल पुत्र अमीर अहमद निवासी तकिया मस्जिद नियर रजनीगंधा अपार्टमेन्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीबवर्ष 40 ।
6. आबिद पुत्र अहमद अली निवासी एफ शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 318करीब वर्ष 32 ।

बरामदगी का विवरण:-

पत्ता ताश एंव 522,340/- रुपये बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम ।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा वादी की गाड़ी का शीशा तोड़कर लेपटॉप व पासपोर्ट चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 लेपटॉप, 01 पासपोर्ट व 01 मोटर साइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 17.02.2026 को वादी श्री गौरव कुमार दुबे निवासी सेक्टर-5 वैशाली ने लिखित तहरीर दी और बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी से लेपटॉप एप्पल मैकबुक PRO 13 व पासपोर्ट चोरी कर लिया है । जिसके सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर धारा 305, 324(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । जिसके क्रम में दिनांक 17.02.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वादी की गाड़ी का शीशा तोड़कर लेपटॉप व पासपोर्ट चोरी करने वाला 01 अभियुक्त इमरान पुत्र हामिद खान निवासी राजीव नगर नवयुग पब्लिक स्कूल के सामने चौड़ी गली थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को शॉप्रिक्स मॉल सेक्टर 05 वैशाली से इन्दिरापुरम जाने वाले रास्ते से चोरी का 01 लेपटॉप, 01 पासपोर्ट व 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त इमरान उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 305, 324(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त इमरान उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त नशा करने व जुआ, सट्टा आदि खेलने के लिए चोरी की घटनाएं करता है तथा चोरी के सामान को बेचकर प्राप्त रूपयों से नशा करता है तथा जुआ व सट्टा खेलता है। इसीक्रम में अभियुक्त ने दिनांक 16.02.2026 को दिल्ली से बरामद मोटर साइकिल को चोरी किया था तथा दिनांक 17.02.2026 को वैशाली से गाड़ी का शीशा तोड़कर बरामद लेपटॉप व पासपोर्ट चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इमरान पुत्र हामिद खान निवासी राजीव नगर नवयुग पब्लिक स्कूल के सामने चौड़ी गली थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी का 01 लेपटॉप, 01 पासपोर्ट व 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर चोरी का 01 अभियोग तथा दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक अपराध की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विशेष लोक अभियोजक श्री उत्कर्ष वत्स द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना सिहानीगेट, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 354 भादवि व 9m/10 पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त ओमदत्त शर्मा पुत्र रमेशचन्द शर्मा निवासी निधावली थाना धौलाना जनपद हापुड़ को, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं0 3/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 18.02.2026 को धारा- 9m/10 पॉक्सो अधि0 में 05 वर्ष का कारावास व 04 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा- 354 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्रियों के साथ छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में वादिया द्वारा दिनांक 13.02.2020 को थाना सिहानीगेट पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री उत्कर्ष वत्स विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)	**मु0आ0 सतकुमार** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 अजय कुमार** पैरोकार थाना सिहानीगेट